वार्षिक प्रतिवेदन

2024–25

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

4 संस्थानिक क्षेत्र, पर्यावरण मार्ग, झालाना डूंगरी, जयपुर

Phone: 0141-2716804, 2716907 Toll free Helpline no. 18001806127

www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb

परिचय

औद्योगीकरण के सतत् विस्तार तथा जनसंख्या में निरतंर वृद्धि के फलस्वरूप जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर स्वरूप धारण करती जा रही है। इस संदर्भ में समुचित पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करना और अनेकानेक स्त्रोतों से होने वाले प्रदूषण पर पर्याप्त नियंत्रण स्थापित करना, आर्थिक विकास से संबंधित सभी नीतियों का एक अत्यंत आवश्यक आयाम बन गया है। तत्संबंधी विभिन्न प्रयासों में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 में निहित दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा फरवरी 1975 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का गठन किया गया। राज्य मण्डल का मुख्य उद्देश्य जल एवं वायु प्रदूषण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का नियंत्रण एवं नियमन सुनिश्चित करना है। राज्य मण्डल मूलतः निम्नलिखित अधिनियमों एवं इनके अन्तर्गत प्रसारित नियमों, अधिसूचनाओं तथा नीति–निर्देशों की अनुपालना कराने के लिए उत्तरदायी हैः–

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974.
2. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981.
3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986.
4. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991.

राज्य मण्डल का गठन

राज्य मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा जल अधिनियम 1974 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया गया है। राज्य मण्डल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के अतिरिक्त एक पूर्णकालिक सदस्य–सचिव तथा 15 अंशकालिक सदस्य मनोनीत हैं। वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य मण्डल का गठन निम्नानुसार रहाः–

1	श्री शिखर अग्रवाल 01.04.2024 से 05.09.2024	अध्यक्ष
	श्रीमती अपर्णा अरोरा 06.09.2024 से 31.03.2025	
2	श्री विजय एन. 01.04.2024 से 02.02.2025	सदस्य–सचिव
	श्री शारदा प्रताप सिंह 03.02.2025 से 31.03.2025	
3	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से नीचे के न हो	सदस्य (सरकारी)
4	शासन सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से नीचे के न हो	सदस्य (सरकारी)

5	आयुक्त, उद्योग विभाग या उनके प्रतिनिधि जो अतिरिक्त आयुक्त स्तर से नीचे के न हो	सदस्य (सरकारी)
6	मुख्य अभियन्ता, (मुख्यालय) जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य (सरकारी)
7	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग	सदस्य (सरकारी)
8	प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर	सदस्य (बोर्ड या निगम)
9	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम	सदस्य (बोर्ड या निगम)
10	श्रीमती मंजू मेहरा, मेयर, कोटा (उत्तर)	सदस्य (स्थानीय निकाय)
11	श्री नरेन्द्र खोडनिया, सभापति, सागवाड़ा	सदस्य (स्थानीय निकाय)
12	श्रीराम सिंह सांजू, पार्षद, जोधपुर	सदस्य (स्थानीय निकाय)
13	श्रीमती दिव्या सिंह, पार्षद, जयपुर	सदस्य (स्थानीय निकाय)
14	श्री शंकर चन्देल, पार्षद, उदयपुर	सदस्य (स्थानीय निकाय)
15	श्री संकटा प्रसाद, सेवानिवृत आई.एफ.एस. जयपुर	सदस्य (गैर सरकारी)
16	श्री राधे श्याम सोमानी, पीपाड़ (श्री पप्पू सोमानी)	सदस्य (गैर सरकारी)
17	श्री केवलचन्द गुलेच्छा, पाली	सदस्य (गैर सरकारी)

राज्य मण्डल का कार्यक्षेत्र समूचा प्रदेश है। इसका मुख्यालय जयपुर में है तथा जयपुर सहित कुल 28 स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। मुख्यालय पर स्थापित केन्द्रीय प्रयोगशाला के अतिरिक्त राज्य के 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में राज्य मण्डल की क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। राज्य मण्डल में विभिन्न स्तरों के कुल 828 स्वीकृत पद हैं।

वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य मण्डल की 152वीं बैठक दिनांक 21 जून 2024 को आयोजित की गई। राज्य मण्डल की बैठकों का कार्यवृत्त मण्डल की वेबसाइट https://environment.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

राज्य मण्डल की प्रमुख गतिविधियाँ

जल एवं वायु अधिनियमों में उल्लेखित सम्मति प्रबंधन, परिसंकटमय, जैव चिकित्सा, ई–वेस्ट एवं नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन/उपचार/निस्तारण हेतु प्राधिकार, प्लास्टिक अपशिष्ट हेतु पंजीकरण, उद्योगों से उत्सर्जित प्रदूषित जल एवं वायु की जांच, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना आदि कर्तव्यों का निर्वहन राज्य मण्डल की प्रमुख गतिविधियाँ हैं। वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य मण्डल की तत्संबंधी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

सम्मति एवं प्राधिकार प्रबंधन

- वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा औद्योगिक इकाइयों एवं अन्य परियोजनाओं के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापना एवं संचालन सम्मति के कुल 14630 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।
- वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा खनन इकाइयों के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापना एवं संचालन सम्मति के कुल 3062 आवदेन पत्रों का निस्तारण किया गया।
- वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 के अन्तर्गत कुल 738 प्राधिकार आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।
- वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अन्तर्गत कुल 1744 प्राधिकार आवदेन पत्रो का निस्तारण किया गया।
- ई–वेस्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार आवदेन पत्रों का निस्तारण सीपीसीबी द्वारा केन्द्रीय स्तर पर ई.पी.आर. पोर्टल के द्वारा किया जाता है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16.02.2022 की पालना में सीपीसीबी द्वारा केन्द्रीय स्तर पर ई.पी.आर. पोर्टल बनाया गया है जिस पर प्लास्टिक पैकेंजिग के उत्पादक, आयातकों, ब्रांड–मालिकों तथा प्लास्टिक वेस्ट के रीसाइक्लिंग/को–प्रोसेसिंग के लिये प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसरों/को–प्रोसेसरो को पंजीकृत होना अनिवार्य है। इस हेतु 2024–25 में प्रदेश की कुल 80 इकाइयों का पंजीकरण किया गया है।

परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा (TSDFs)

- राज्य के उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट के नियमानुसार निष्पादन के लिए राज्य में सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण की सुविधाओं का विकास किया गया है। इन निस्तारण सुविधाओं से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैः–

  I. ग्राम गुड़ली, तहसील मावली, जिला उदयपुर – सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा।

  II. ग्राम खेड़, तहसील बालोतरा, जिला बाड़मेर – सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा।

  III. अन्य सुविधाएँ – उच्च कैलोरी क्षमता वाले परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड़ (पुराना जिला–अलवर) एवं परबतसर, जिला नागौर में स्थित भस्मकों (incinerator) को सामूहिक भस्मीकरण (incineration) हेतु प्राधिकृत किया गया है।

- राज्य में 4 कैप्टिव (Captive) भूमि निपटान सुविधा (Secured landfill) एवं 3 कैप्टिव (Captive) भस्मीकरण सुविधा (इनसिनरेटर) हैं।
- राज्य के लगभग सभी बड़े सीमेंट उद्योगों द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट का सह–प्रसंस्करण (Co-processing) किया जा रहा है।
- राज्य में परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के अंतर्गत अनुसूची IV में उल्लेखित अपशिष्ट के पुनःचक्रण हेतु लगभग 150 उद्योग स्थापित हैं, जो लैड एसिड, यूज्ड ऑयल, वेस्ट ऑयल आदि का पुनः चक्रण करते हैं।
- राज्य में परिसंकटमय अपशिष्ट के पूर्व – प्रसंस्करण (Pre- processing) सुविधा हेतु पाँच इकाइयाँ (5,00,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता) जिला चित्तौडगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर एवं सिरोही में स्थापित एवं कार्यरत है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन

वर्ष 2024 तक राज्य मण्डल द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में 500 एवं अधिक बिस्तर के 31 अस्पतालों, 200 से 499 बिस्तर के 89 अस्पतालों, 101 से 199 बिस्तर के 71 अस्पतालों, 01 से 100 बिस्तर तक के 7431 अस्पतालों एवं 3499 डायग्नोस्टिक सेन्टर, परामर्श केन्द्र, पशु चिकित्सा संस्थान आदि को चिन्हित किया गया है, इनसे अनुमानतः 20975.058 किलोग्राम प्रतिदिन जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न होता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट हेतु सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधाएँ

राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु 11 सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधाओं को विकसित कर कार्यरत किया गया है। इसके अतिरिक्त धौलपुर जिले में स्थित हैल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण आगरा (उत्तर प्रदेश) में स्थित सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधा में भी किया जाता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु विकसित सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	सामूहिक सुविधा स्थल का नाम एवं कार्यस्थल	लाभान्वित शहर / जिले
1	इन्सट्रोमेडिक्स इण्डिया प्रा. लि., जयपुर– ग्रामीण खसरा नं. 84, ग्राम–खोरी रोपाड़ा, आगरा रोड, तहसील – सांगानेर, जयपुर।	जिला जयपुर, कोटपूतली–बहरोड, दौसा, सीकर, झुंझुनूं एवं चूरू

2	इन्सट्रोमेडिक्स इण्डिया प्रा. लि., जयपुर– शहरी ग्राम–खोरी रोपाड़ा, आगरा रोड, तहसील – सांगानेर, जयपुर।	जयपुर शहर
3	सेल्स प्रमोटर्स, नगर निगम लेंडफिल साईट जैसलमेर रोड़, ग्राम–केरू, पोस्ट– बड़ली, जोधपुर।	जिला जोधपुर , जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, ब्यावर एवं पाली
4	सेल्स प्रमोटर्स, ए. डी. बी., ट्रेंचिग ग्राउंड, जयपुर रोड ग्राम–सेंदरिया, अजमेर	जिला अजमेर, भीलवाडा, ब्यावर
5	ई–टेक प्रोजेक्ट, अबोहर बाईपास रोड, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील एवं जिला–हनुमानगढ़	जिला हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर
6	ई–टेक प्रोजेक्ट, 1515/75, ग्राम– बलवा, तहसील एवं जिला– नागौर।	जिला नागौर, डीडवाना–कुचामन, बीकानेर, जैसलमेर बाड़मेर एवं बालोतरा
7	ई–टेक प्रोजेक्ट, खसरा नं. 213, ग्राम– भंडोरिया घाटा, तहसील एवं जिला–डूंगरपुर।	जिला डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलुम्बर, प्रतापगढ़
8	हॉस्विन इन्सीनरेटर, खसरा नं. 645/256, रूंद धूनी नाथ, अलवर।	जिला अलवर, खैरथल–तिजारा, कोटपुतली–बहरोड़, डीग, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, धौलपुर, करौली
9	हॉस्विन इन्सीनरेटर, ग्राम– धनवाड़ा, तहसील – झालरापाटन, जिला– झालावाड़।	जिला झालावाड़, बाराँ, कोटा एवं बून्दी
10	एन विजन एनवायरो इंजीनियर्स प्रा. लि. ग्राम–उमरड़ा, तहसील –गिर्वा, जिला– उदयपुर।	जिला उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली
11	इन्सट्रोमेडिक्स इण्डिया प्रा. लि., खसरा न. 4446, ग्राम– महेशपुरा, तहसील एवं जिला– जालौर।	जालौर एवं सिरोही

इनके अतिरिक्त राज्य में 6 सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट (बायोमेडिकल वेस्ट) उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधाएँ प्रस्तावित है।

संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र (CETP)

राज्य में लघु श्रेणी के वस्त्र उद्योग समूह मुख्य रूप से पाली, जोधपुर, बालोतरा, जसोल, बिठुजा एवं साँगानेर में कार्यरत हैं। इन लघु उद्योगों के पास स्वयं के स्तर पर प्रदूषित जल के उपचार हेतु समुचित उच्छिष्ट उपचार संयंत्र लगाने के लिए न तो आवश्यक तकनीक है और न ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध होती है। अतः इस तरह के उद्योग समूहों से जनित प्रदूषित जल को उपचारित करने हेतु संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना की जाती है।

राज्य में लघु उद्योग समूहों से जनित जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वर्ष 2024–25 तक 14 संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। इन संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों का विवरण निम्नानुसार हैः–

राज्य में कार्यरत संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र

क्र.सं	संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र स्थल एवं स्थान	संयुक्त उच्छिष्ट उपचार क्षमता (एम.एल.डी.)	उद्योग जिन के लिए व्यवस्था स्थापित की गई
1	बालोतरा सी.ई.टी.पी., जिला बालोतरा	18.00	वस्त्र उद्योग
2	जसोल सी.ई.टी.पी., जिला बालोतरा	06.50	वस्त्र उद्योग
3	बिठुजा सी.ई.टी.पी., जिला बालोतरा	30.00	वस्त्र उद्योग
4.	पाली सी.ई.टी.पी. यूनिट–4 औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, जिला पाली	12.00	वस्त्र उद्योग
5	पाली सी.ई.टी.पी. यूनिट–6 औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, जिला पाली	12.00	वस्त्र उद्योग
6	नेक्स्टजेन टैक्सपार्क, जिला पाली	3.1	वस्त्र उद्योग
7	सांगरिया औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय चरण, सांगरिया, जिला जोधपुर	18.50	वस्त्र उद्योग
8	सांगरिया औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय चरण, सांगरिया, जिला जोधपुर	1.50	स्टील री–रोलिंग उद्योग
9	ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क लिमिटेड गांव–रूपनगढ़, जिला–अजमेर	1.2	फूड प्रोसेसिंग
10	रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी, जिला खैरथल तिजारा	9.00	जल प्रदूषक उद्योग एवं आवासीय बस्तियों का मल–जल
11	जयपुर इंटिग्रेटेड टेक्स क्राफ्ट पार्क, बगरू, तहसील–सांगानेर, जिला जयपुर	00.50	वस्त्र उद्योग
12	सांगानेर सी.ई.टी.पी. तहसील–सांगानेर, जिला जयपुर	12.3	वस्त्र उद्योग
13	जे.डी.ए. करतारपुरा नाला, सुदर्शनपुरा, जयपुर	1.00	करतारपुरा एवं बाईस गोदाम में स्थित औद्योगिक इकाई एवं सीवेज
14	रीको औद्योगिक क्षेत्र, मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर	00.20	चर्मशोधन उद्योग

मल जल उपचार संयंत्र (STP)

राज्य में वर्ष 2024–25 के दौरान कुल 143 मल जल उपचार संयंत्रों में से 131 संयंत्र कार्यरत रहे। कुल उपचार क्षमता (1424.55 एम.एल.डी.) में से लगभग 904.927 एम.एल.डी. क्षमता का उपयोग किया जा रहा है।

ई–वेस्ट प्रबन्धन

वित्तीय वर्ष 2024–25 में ई–वेस्ट प्रबंधन हेतु राज्य मण्डल द्वारा निम्न गतिविधियाँ संचालित की गई :–

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा 31 मई 2024 को मुख्यालय, जयपुर में भई–कचरा प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य ई–कचरा प्रबंधन रणनीतियों को विकसित करने के लिए विशेषज्ञ और नीति–निर्माताओं को एक साथ लाना था। राज्य मंडल द्वारा 27.09.2024 को "हरित अर्थव्यवस्था में अवसर" विषय पर स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों और अन्य सरकारी विभागों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की गई।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा चक्रीय अर्थव्यवस्था और अपशिष्ट पुनःर्चक्रण को बढ़ावा देने तथा उद्योगों, रोजगार और कौशल विकास के संबंध में 06.09.2024 को जयपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य मंडल ने दिनांक 07.03.2025 के आदेश के माध्यम से राज्य में "चक्रीय अर्थव्यवस्था" को सुचारु रूप से लागू करने हेतु टास्क फोर्स का गठन किया है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जागरूकता अभियान/प्रिंटमीडिया/ई–मीडिया/सोशल मीडिया/आई.ई.सी. गतिविधियों के माध्यम से ई–कचरा प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैला रहा है।

प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.07.2010 की अधिसूचना के तहत प्रदेश में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग्स के उपयोग, विनिर्माण, भण्डारण, आयात एवं विक्रय को दिनांक 01.08.2010 से प्रतिबंधित कर दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा कम्पोस्टेबल/बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कैरी बैग्स को उक्त प्रतिबंध से मुक्त रखने हेतु दिनांक 31.12.2021 को अधिसूचना जारी की गई थी।

राज्य मंडल द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के तहत 212 नगर निकायों से प्राप्त सूचना के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में वर्ष 2023–24 में कुल प्लास्टिक वेस्ट की मात्रा– 89842.651 टन है, जिसमें से संग्रहण–86587.296 टन, पृथक्करण– 54119.383 टन, प्रसंस्करण– 9019.05 टन तथा सह–प्रसंस्करण–11729.583 टन है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.08.2021 को अधिसूचना जारी कर निम्न सिंगल.यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर दिनांक 01.07.2022 से प्रतिबंध लगाया गया है:–

- प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियाँ, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियाँ, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकाल) की सजावटी सामग्री।

- प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के ईर्द–गिर्द लपेटने/पैक करने वाली फिल्में, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक/पीवीसी बैनर एवं स्ट्रिरर।

उक्त प्रतिबंध की अनुपालना मे वर्ष 2024–25 में राज्य मंडल द्वारा प्रतिबंधित सामग्री का उत्पादन करने वाली 03 इकाइयों की पहचान कर उन्हें बंद करवाया गया है। इसके अलावा राज्य मंडल द्वारा समय–समय पर निरीक्षण/सर्वे के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिबंधित सामग्री का उत्पादन न होने पाये। निरीक्षण/सर्वे में चिन्हित ऐसी इकाइयों को बंद करने की कार्यवाही की जाती है।

राज्य मंडल ने 26.04.2023 को प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाइयों की जानकारी प्रदान करने वाले नागरिकों के लिए एक पारितोषिक योजना जारी की हैं, जो राज्य मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस योजना के तहत विश्वसनीय जानकारी दिये जाने के परिणामस्वरूप प्रतिबंधित वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई को बंद किया जाता है एवं जानकारी देने वाले नागरिक को 5000/– रूपये प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

राज्य मंडल ने 27.06.2024 को प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं का संग्रहण/बिक्री/परिवहन को रोकने हेतु जानकारी प्रदान करने वाले नागरिकों के लिए एक पारितोषिक योजना जारी की है। इस योजना के तहत विश्वसनीय जानकारी देने वाले नागरिकों के लिए 10000/– रूपये तक प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

शिकायत निस्तारण

प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु राज्य मण्डल में वी.टी.आर. शाखा कार्यरत है। वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य मण्डल के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पर्यावरण, जल, वायु के प्रदूषण से संबंधित कुल 2152 शिकायतें प्राप्त हुई एवं 1923 शिकायतों का निराकरण किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारियों को कुल 767 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 764 आवेदकों द्वारा मांगी गई सूचना की आपूर्ति की गई।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष 117 अपीलें दायर की गईं। इनमें से 108 अपीलों का निस्तारण किया गया।

पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006

भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत राज्य मण्डल द्वारा वर्ष 2024–25 में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, आधारभूत तथा खनन परियोजनाओं के प्रकरणों की कुल 396 जन सुनवाई आयोजित की गई एवं उक्त प्रकरणों को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान को अग्रेषित किया गया।

विधिक कार्यवाही

- वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य मण्डल के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जल/वायु एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों के अर्न्तगत 8556 निरीक्षण किये गये।

- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा विभिन्न उद्योगों/ खनन इकाइयों/ व्यक्तियों/ प्रतिष्ठानों के विरूद्ध वर्ष 2024–25 में कुल 28 विधिक अभियोजन दायर किये गये।

- वर्ष 2024–25 में राज्य मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण कुल 12467 इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। इनमें से 1667 इकाइयों के विरुद्ध कारण बताओं नोटिस की अनुपालना नहीं किये जाने के उपरान्त विद्युत संबंध विच्छेद करना/सम्मति निरस्त करना/सम्मति आवेदन रद्द करना/विधिक अभियोजन दायर करना इत्यादि आवश्यक कार्यवाही की गई।

- वर्ष 2024–25 में राज्य मण्डल द्वारा विभिन्न अधिनियमों का उल्लंघन करने के कारण कुल 818 इकाइयों को निर्देश जारी किये गये। इनमें से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 33 ए के अन्तर्गत 49 इकाइयों, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 31 ए के अन्तर्गत 403 इकाइयों, जल व वायु अधिनियम के अन्तर्गत 365 इकाइयों एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत 1 इकाई के विरूद्ध निर्देश जारी किये गये।

प्रत्यायन तथा गुणवत्ता प्रबोधन एवं नियंत्रण कार्य

राज्य मंडल की प्रयोगशालाओं में ISO/IEC 17025:2017 के अनुरूप प्रयोगशाला प्रबोधन प्रणाली (Laboratory Management System) स्थापित करने व आई.एस./APHA मानकों के अनुरूप कार्यशैली विकसित करते हुए, गुणवत्ता प्रबोधन का कार्य प्रगतिशील है।

इस क्रम में राज्य मण्डल की केंद्रीय प्रयोगशाला ने एन.ए.बी.एल. (NABL) द्वारा आई.एस.ओ./आई.ई.सी 17025:2017 प्रत्यायन का नवीनीकरण 265 पैरामीटर के साथ सफलतापूर्वक प्राप्त किया जिसमें मोबाइल वेन द्वारा monitored परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए 21 पैरामीटर यथा–PM_{10}, $PM_{2.5}$, SO_2, NO, NO_2, NO_X, NH_3, CO, Ozone, Benzene, Toluene, Ethyle-Benzene, MP-Xylene, O-Xylene, Temperature, Relative Humidity, Wind Speed, Wind Direction, Atmospheric Pressure, Solar Radiation, Rain Fall को भी शामिल किया गया है। वायु गुणवत्ता निगरानी में प्रयुक्त मोबाइल वैन CAAQMS का प्रत्यायन देश भर मे एक नवीन पहल है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य मण्डल की केंद्रीय प्रयोगशाला के अतिरिक्त अन्य 06 क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं ने भी प्रत्यायन प्राप्त किया जिनका विवरण निम्न प्रकार है –

क्र. स.	राज्य मण्डल की प्रयोगशाला का नाम	प्रत्यायन की स्थिति
1	केंद्रीय प्रयोगशाला, जयपुर	प्रत्यायन वैधता (नवीनीकरण) – 04.09.2026
2	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, उदयपुर	प्रत्यायन वैधता – 08.04.2026
3	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, सीकर	प्रत्यायन वैधता – 05.09.2026
4	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, किशनगढ़	प्रत्यायन वैधता – 05.09.2026
5	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, अलवर	प्रत्यायन वैधता – 29.10.2028
6	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, कोटा	प्रत्यायन वैधता – 26.12.2028
7	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, चित्तौडगढ़	प्रत्यायन वैधता – 27.02.2029

राज्य मण्डल में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सभी प्रयोगशालाओं का आई.एस.ओ./आई.ई.सी 17025:2017 प्रत्यायन की मान्यता प्राप्त करने के पूर्व आन्तरिक अंकेक्षण (Internal Audit) करके गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित किया जाता है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2024–25 में 08 क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं यथा– क्षेत्रीय प्रयोगशाला, कोटा, चित्तौडगढ़, भीलवाड़ा, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, बालोतरा का आन्तरिक अंकेक्षण (Internal Audit) करके गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित किया गया।

राज्य मण्डल की पूर्व स्थापित केंद्रीय प्रयोगशाला एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता प्रबोधन एवं नियंत्रण तथा ISO/IEC 17025:2017 की अनुपालना में दक्षता परीक्षण (Proficiency Testing) में भाग लेना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2024–25 मे गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राज्य मण्डल की प्रयोगशालाओं द्वारा विभिन्न पैरामीटर्स में दक्षता परीक्षण का आकलन सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। दक्षता परीक्षण का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	प्रयोगशाला का नाम	दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का वर्ष	प्रत्यायन स्कोप में पैरामीटर्स की संख्या	प्रयोगशाला द्वारा दक्षता परीक्षा में सम्मिलित पैरामीटर्स की संख्या
1.	केन्द्रीय प्रयोगशाला, जयपुर	2024–25	265 (Renewal)	86
2.	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, उदयपुर	2024–25	134	43
3.	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, सीकर	2024–25	126	50
4.	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, किशनगढ़	2024–25	117	42
5.	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, कोटा	2024–25	106	34

6.	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, अलवर	2024–25	58	40
7.	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, चित्तौडगढ़	2024–25	58	39
8.	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, भीलवाड़ा	2024–25	89 (Applied)	67
9.	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, भरतपुर	2024–25	64 (Applied)	16
10.	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, जोधपुर	2024–25	91 (Applied)	26
11.	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, बीकानेर	2024–25	55 (Applied)	38
12.	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पाली	2024–25	65 (Applied)	35
13.	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, बालोतरा	2024–25	51 (Applied)	8

नवीन प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा संबंधित कार्यः–

राज्य मण्डल द्वारा 151वीं व 152वीं बोर्ड मीटिंग तथा मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2024–25 की अनुपालना में उद्यमियों को paid sampling की सुविधा प्रदान करने के लिए 11 स्थानों पर नवीन क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना व संचालन का कार्य प्रगतिशील है व इसी क्रम में इन स्थानों में संचालित उद्योगों की निगरानी एवं नमूना संग्रहण (monitoring व sampling) का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। वर्तमान में इन स्थानों पर आधारभूत वायु व ध्वनि गुणवत्ता के पैरामीटर्स के मापन हेतु सुविधा निकटतम क्षेत्रीय प्रयोगशाला के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है। इन प्रयोगशालाओं में वायु व जल गुणवत्ता के मापन व विश्लेषण की सुविधा विकसित करने हेतु तथा इन्हें पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए अन्य आवश्यक उपकरणों के क्रय का कार्य प्रगतिशील है।

प्रदूषित जल एवं वायु की जांच

वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य मण्डल की प्रयोगशालाओं द्वारा जल, उच्छिष्ट, परिवेशी वायु, उत्सर्जित गैसों एवं ध्वनि स्तर के नमूनों के विश्लेषण संबंधी किए गए कार्य का विवरण निम्नानुसार हैः–

नमूनों के प्रकार	विश्लेषित नमूनों की संख्या
जल / उच्छिष्ट	9538
उत्सर्जित वायु / गैस	1995
परिवेशी वायु	91129
ध्वनि स्तर	5280
योग	**107942**

जनचेतना

राज्य में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना व पर्यावरण एवं प्रदूषण से संबंधित ज्ञान वृद्धि के उद्देश्य से पर्यावरण संबंधित विशिष्ट दिवसों पर प्रतिवर्ष राज्य मण्डल के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर सामाजिक एवं शैक्षणिक, चिकित्सा संस्थाओं तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से वृक्षारोपण, संगोष्ठियां, विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारी, प्रदर्शनी, पोस्टर एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएँ, पौधे वितरण आदि कई प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की जाती है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण हेतु इन सभी कार्यक्रमों का विभिन्न संचार साधनों के माध्यम से प्रचार–प्रसार भी किया जाता है।

गत वर्ष में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन चेतना व पर्यावरण एवं प्रदूषण से संबंधित ज्ञानवर्धन हेतु राज्य व्यापी सघन प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस–5 जून 2024, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई दिवस–7 सितम्बर 2024, ओजोन परत संरक्षण दिवस–16 सितम्बर 2024 और प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने के लिये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न आयोजन किये गये जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

विश्व पर्यावरण दिवस–5 जून 2024 के अवसर पर ''एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम'' का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) जयपुर में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान द्वारा जयपुर शहर के लिए पूर्व चेतावनी वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रणाली को लांच किया गया। साथ ही अलवर और कोटा के लिए स्त्रोत वितरण और उत्सर्जन सूची की रिपोर्ट जारी की गयी।

विश्व पर्यावरण दिवस – 2024 की थीम ''भूमि पुनर्स्थापना, मरूस्थलीकरण और सूखा'' पर आधारित था। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से 15 जून, 2024 को "हैक द वेस्ट" थीम पर हैकथॉन–2 की शुरूआत की इसका आयोजन एल.एन.एम.आई.आई.टी., जयपुर के सहयोग से किया गया। इस हैकथॉन के तहत कचरा प्रबंधन, वायु गुणवत्ता में सुधार एवं जल प्रदूषण कम करने हेतु नवाचारों/सुझावों/नयी तकनीकों से संबंधित एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। राजस्थान के प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग क्षेत्रों के स्नातक और उससे ऊपर के छात्र तथा किसी भी संस्थान के इनक्यूबेशन केंद्रों से जुड़े स्टार्ट–अप्स इसमें भाग लेने के लिए योग्य थे। छात्रों के लिए 1.2 लाख रुपये तक के नकद पुरस्कार जीतने का एक अनूठा अवसर था। प्रत्येक वेस्ट श्रेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल विचारों को पुरस्कारों के साथ–साथ चुनी गई अवधारणाओं को एल.एन.एम.आई.आई.टी के प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर से इनक्यूबेशन सहायता और मार्गदर्शन भी दिया गया।

जागरूकता और प्रचार–प्रसार के लिए राज्य मण्डल द्वारा अखबारो में प्रकाशन, टी.वी.चैनलों पर जागरूकता के लिए शॉर्ट वीडियों एवं रेडियो चैनलों पर जिंगल्स (स्पॉट) के प्रसारण के संबंध में दिनांक 31.05.2024 के पत्र के तहत राजस्थान संवाद, डीआईपीआर को कार्य आदेश भी जारी किया था। इसके साथ ही राज्य मण्डल के सोशल मीडिया हैंडल पर विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए गए।

औद्योगिक क्षेत्रों जैसे कपड़ा, सीईटीपी, एसटीपी, हैजारडस वेस्ट, खनन, पत्थर प्रसंस्करण, ई–वेस्ट, बायो मेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, इन्डक्शन री–हीटिंग से जुड़े महत्वपूर्ण हितधारकों को शामिल करते हुए जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया। इन कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य हितधारकों को संबंधित क्षेत्र में हालिया प्रगति, सर्वोत्तम प्रथाओं और सतत प्रथाओं की सफलता की कहानियों के बारे में संवेदनशील और शिक्षित करना था। हितधारकों द्वारा Mission Life पर भी शपथ ली गई।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान सरकार तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छ वायु दिवस, (International Day of Clean Air for Blue Skies) के अवसर पर 7 सितम्बर, 2024 को एक केन्द्रीय स्तरीय समारोह का आयोजन, जयपुर प्रदर्शनीय एवं सम्मेलन केन्द्र (JECC), नोवोटेल, सीतापुरा, जयपुर में आयोजित किया गया था। इस वर्ष के स्वच्छ वायु दिवस की थीम "Invest in Clean Air Now", वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए मजबूत साझेदारी, बढ़े हुए निवेश और साझा जिम्मेदारी की ओर आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। इस आयोजन में राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन में किए गए सामूहिक प्रयासों और वायु गुणवत्ता प्रबंधन में किए गए प्रयासों को प्रदर्शित करने हेतु किया गया। इस समारोह में माननीय केन्द्रीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार मुख्य अतिथि, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सम्मानित अतिथि रहे। इनके अतिरिक्त माननीय राज्य मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, और प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार और माननीय राज्य मंत्री, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16.09.2024 के अवसर पर राज्य मण्डल ने दिनांक 14.09.2024 के आदेश के तहत राज्य मण्डल के सभी 15 क्षेत्रीय कार्यालयो को रुपये 50,000/– (प्रति कार्यालय) की वित्तीय सहायता के लिए रुपये 16,50,000/– की राशि स्वीकृत की गई। ताकि स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी संगठनों में सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रतियोगिताएं व अन्य कार्यक्रम आयोजित करके विशेष रूप से युवा पीढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर जागरूक किया जा सके।

''एक पेड मॉ के नाम'' वृक्ष लगाने की पहलः–

विश्व पर्यावरण दिवस–5 जून 2024 के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय अतिथियों द्वारा "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत पौधा रोपण की शुरूआत की गयी। इस अभियान के तहत राज्य मण्डल द्वारा राज्य में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों एवं सरकारी जमीन पर 14,55,284 पौधा रोपण किया गया। इस योजना का उपयोग करते हुए विभिन्न संस्थाओं, विभागों आदि मे पौधे उपलब्ध करा कर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया। राजस्थान राज्य के टी.ओ.एफ.आर. (Tree Outside Forest in Rajasthan) क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस–2024 के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, जयपुर द्वारा लगभग 8000 सीड बॉल्स का वितरण किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय ई–वेस्ट दिवस के अवसर पर 7 क्षेत्रीय कार्यालयों में लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य मण्डल ने जन–जागरूकता हेतु ई–वेस्ट के प्रति जन–चेतना एवं जन–सहभागिता के उद्देश्य से संचार के विभिन्न माध्यमों यथा समाचार पत्रों, एफ–एम चैनलों, दूरदर्शन, डिजिटल मीडिया, होर्डिंग आदि द्वारा ई–वेस्ट संग्रहण विषय को दृष्टिगत रखते हुए अभियान का आयोजन करने के लिए स्वीकृति आदेश दिनांक 10.10.2024 के माध्यम से इन क्षेत्रीय कार्यालयों को 50,000/– प्रति कार्यालय (कुल रु. 3,50,000/–) आवंटित किए हैं।

दीपावली 2024 के अवसर पर राज्य मण्डल द्वारा आमजन को प्रदूषण मुक्त दीपावली मनााने के लिये केवल ग्रीन पटाखे जलाने के लिये जागरूक किया गया तथा क्यू–आर स्कैन कर ग्रीन पटाखों की पहचान करने की जानकारी भी प्रदान की गयी। जन–जागरूकता हेतु पर्यावरण के प्रति जन–चेतना एवं जन–सहभागिता के उद्देश्य से संचार साधनों के विभिन्न माध्यमों यथा समाचार पत्रों एफ–एम चैनलों, दूरदर्शन, डिजिटल मीडिया, होर्डिंग आदि द्वारा ''प्रदूषण मुक्त दीपावली'' विषय को दृष्टिगत रखते हुए अभियान का आयोजन किया गया। इसी प्रकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण रोकथाम हेतु नवम्बर 2024 से फरवरी, 2025 में संचार साधनों के विभिन्न माध्यमों यथा एफ–एम चैनलों, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया आदि द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियानों का आयोजन किया गया।

प्रकाशनः– राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा 2021 से 2023 तक के महत्वपूर्ण कार्यालय आदेशो को एकीकृत करते हुए कमपेंडीयम पुस्तिका का प्रकाशन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 05 जून 2024 को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के द्वारा न्यूज लेटर का विशिष्ठ संस्करण प्रकाशित किया गया जिसमें नागरिकों/उद्योगों/विद्यार्थियों इत्यादि के द्वारा 03 श्रेणीयों (कविता, आर्टिकल एवं सक्सेस स्टोरीज) में भेजी गई रचनाओं को प्रकाशित किया गया।

योजनाः– राज्य मण्डल द्वारा विशेष छूट योजना (Special Dispensation Scheme) की शुरूआत की गई, जिसके तहत औद्योगिक इकाईयां जो किसी कारण CTE एवं CTO प्राप्त नहीं कर पाई, उन्हें (01.12.2024–31.03.2025) में आवेदन प्रस्तुत करने पर सम्मति शुल्क में विशेष छूट प्रदान की गई। इस योजना से राज्य मण्डल में कुल 1326 आवेदन प्राप्त हुए, जिसके तहत औद्योगिक इकाइयों को सम्मति शुल्क में लाभ मिला।

प्रोजेक्ट एवं आई.ई.सी शाखा द्वारा वर्ष 2024–25 में कई ट्रेनिंग, वर्कशॉप, आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 243 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

विविध गतिविधियाँ

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम

राज्य मण्डल द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य के चुनिंदा स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में इस अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के प्रमुख नगरों के औद्योगिक, आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में 45 स्थानों पर परिवेशी

वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता अनुश्रवण के इस कार्य के लिए अलवर, सीकर, बीकानेर, भिवाड़ी, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर में 03–03 स्थानों पर तथा कोटा में 06 स्थानों पर तथा जोधपुर एवं जयपुर में 09–09 स्थानों पर परिवेशीय वायु नमूनों को एकत्रित करने हेतु प्रबोधन केन्द्र स्थापित किये हुए हैं।

सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र

राजस्थान राज्य में राज्य मण्डल द्वारा स्थापित सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र (CAAQMS) द्वारा परिवेशी वायु गुणवत्ता की सतत् निगरानी की जाती है। सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र (CAAQMS) न केवल CO, O_3, NO, NO_2, NO_X, NH_3, SO_2, PM 2.5, PM10, Benzene, Toluene, Ethyl Benzene, MP Xylene, O Xylene जैसे हानिकारक वायु प्रदूषकों की निगरानी करते हैं, बल्कि मौसम सम्बन्धी मापदंडों की भी निगरानी करते है।

परिवेशीय वायु गुणवत्ता की स्थिति का आंकलन करने के लिए राज्य मण्डल द्वारा वर्ष 2023.24 तक राजस्थान राज्य के 34 शहरों में 46 स्थानों पर सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र (CAAQMS) तथा 02 चलित परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र (CAAQMS) स्थापित कर संचालित किये जा रहे है।

राष्ट्रीय जल गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम

राज्य मण्डल द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई एक अन्य परियोजना के तहत राज्य के चुनिंदा स्थानों पर सतही एवं भूगर्भीय जल स्त्रोतों के जल की गुणवत्ता के आंकलन के लिए नियमित रूप से जल के नमूनों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जा रहा है। राज्य मण्डल द्वारा राज्य के 199 केन्द्रों पर जल की गुणवत्ता जाँचने हेतु जल स्त्रोतों का प्रबोधन किया जा रहा है। उपरोक्त स्थानों में सतही जल के नमूने एकत्र करने की आवृति मासिक एवं भू–जल की छः माही है। 199 जल नमूना एकत्रीकरण केन्द्रों में से 68 केन्द्र सतही जल (नदियों, झीलो, नहरों, तालाबों व जलाशयों) तथा 131 केन्द्र भूगर्भीय जल स्त्रोतों (कुएं, हैण्ड़पम्प, ट्यूबवेल) पर चिन्हित किए हुए हैं।

ध्वनि प्रबोधन

राज्य मण्डल द्वारा राज्य के 36 शहरों में 178 स्थानों पर नियमित रूप से ध्वनि प्रबोधन किया जा रहा है। दीपावली पर्व पर पटाखों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में राज्य मंडल द्वारा दीपावली से 7 दिन पूर्व एवं दीपावली के दिन 24 शहरों में 56 स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण की जांच की गई।

ऑनलाईन सतत् उत्सर्जन/प्रवाह निगरानी प्रणाली

वर्ष 2024–25 के दौरान 23 नई इकाइयाँ चिन्हित की गई है एवं वर्तमान में ऑनलाईन सतत् उत्सर्जन/प्रवाह निगरानी प्रणाली के अन्तर्गत 703 इकाइयाँ चिन्हित एवं 662 इकाइयाँ कॉन्फिगर्ड है।

एडवांस्ड लैब एवं सशुल्क मॉनिटरिंग

सशुल्क मॉनिटरिंग शाखा द्वारा मृदा (soil), परिसंकटमय अपशिष्ट (Hazardous waste), तलछट (sediment) के नमूनों के विश्लेषण की सुविधा शुरू की गई है तथा इसके तहत नियमित रूप से प्राप्त नमूनों का विश्लेषण व रिपोर्ट जारी की जा रही है। राज्य मण्डल के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों मे उद्यमियों एवं आमजन को जल, वायु, ध्वनि, मृदा, परिसंकटमय अपशिष्ट, एवं तलछट की सशुल्क (paid) सैंपलिंग एवं मॉनिटरिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है।

राज्य मण्डल के वित्त एवं लेखे

वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य मण्डल की आय एवं व्यय का विवरण (लाख रूपये में) निम्नानुसार हैः–

आय (लाख रूपये में)		व्यय (लाख रूपये में)	
विवरण	**राशि**	**विवरण**	**राशि**
जल उपकर पुनर्भरण	0	वेतन एवं अन्य स्थापना व्यय	14817.66
सम्मति शुल्क एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति से प्राप्त राशि	13649.27	कार्यालय व्यय	1501.94
पी.डी.खाते से ब्याज	1310.82	प्रयोगशाला व्यय	33.90
बैंक/एफ.डी.आर. पर ब्याज	2890.92	विज्ञापन एवं प्रकाशन	6.59
अन्य ब्याज	0	अनुसंधान एवं विकास	2238.28
विविध आय	122.90	पूंजीगत व्यय	840.13
भारत सरकार एवं के. प्र. नि. मण्डल से प्राप्त राशि	145.95	भारत सरकार एवं के. प्र. नि. मण्डल से प्राप्त राशि के विरुद्ध व्यय	
		Project Expenses	64.07
		ट्रेनिंग एवं वर्कशाप पर व्यय	
		आई.ई.सी. गतिविधि पर व्यय	281.78
		आयकर का भुगतान	3700
		CETP Funding	339.92
योग	**18119.86**	**योग**	**23824.27**

वर्ष 2024–25 के दौरान **Environment Compensation** मद अंतर्गत प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	विवरण	प्राप्त राशि (लाख रू. में)	व्यय (लाख रू. में)
1.	Environment Compensation	1671.41	781.33

****

रा.प्र.नि.म.

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जयपुर

Printed by : RRSM Ltd., Jaipur/2025/PP

Phone: 0141-2716804, 2716907 Toll free Helpline no. 18001806127
www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb